सं0- 24/2016 /524/35-1-2016-6/8(3)2015

प्रेषक,

जे0बी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
दीर्घकालीन योजना प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0
कालाकांकर भवन, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 ***लखनऊः दिनांकः 01 सितम्बर, 2016***

विषयः उ0प्र0 राज्य इनोवेशन सेल के संचालन, राज्य इनोवेशन कोष का वितरण तथा राज्य इनोवेशन कोष के संचालनार्थ मुख्यालय स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोले जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में शासन के एजेण्डा बिन्दु वर्ष 2015-16 में सूत्र संख्या- 150 एक इनोवेशन सेल और स्टेट इनोवेशन फण्ड की स्थापना कर प्रशासनिक क्षेत्र में विभिन्न नये विचारों को सहयोग देना तथा उन्हें आगे बढ़ाने हेतु रिप्लीकेट कराना सम्मिलित किया गया है। इस संबंध में क्रमशः कार्यालय ज्ञाप संख्या-43/2015/1218/35-1-2015/2 /1(29)/2015, दिनांक 07.12.2015, कार्यालय ज्ञाप संख्या-45/2015/1219/35-1-2015/2/1(29)/2015, दिनांक 07.12.2015 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-46/2015/1217/35-1-2015/2/1(29)/2015, दिनांक 07.12.2015 द्वारा राज्य इनोवेशन सेल की स्थापना, राज्य इनोवेशन कोष का वितरण तथा राज्य इनोवेशन कोष के संचालन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त को निर्गत किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य इनोवेशन सेल, राज्य इनोवेशन कोष का वितरण तथा राज्य इनोवेशन कोष के संचालन हेतु राज्य इनोवेशन सेल के निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 तथा विशेष सचिव (प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा नामित) उत्तर प्रदेश शासन के पद नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोलने हेतु राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. प्रश्नगत बचत खाता वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010, दिनांक 21.03.2012, शासनादेश सं0 10/ 2015-ए-1-502/दस-2015-10 (33)/2010 दिनांक 29.05.2015, शासनादेश सं0 -14/2015-ए-1-879/दस-2015-10(33)/2010 दिनांकः 23.09.2015 एवं शासनादेश संख्या-03/2016-ए-1-170/दस-2016-10(33)/2010, दिनांक 23.02.2016 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

2/-

2. प्रश्नगत खाता बचत खाता होगा, जिसे उ0प्र0 राज्य इनोवेशन सेल और राज्य इनोवेशन फण्ड के नाम से खोला जायेगा।
3. बैंक खाते का संचालन राज्य इनोवेशन सेल के निदेशक तथा विशेष सचिव (प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा नामित) के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।
4. बैंक खाते को योजनावधि तक चालू रखा जायेगा। योजना समाप्त होने पर खाते को नियमानुसार बन्द कर दिया जायेगा।
5. खाते के संचालन एवं रख रखाव आदि में वित्तीय नियमों एवं आदेशों का समुचित पालन किया जायेगा।
6. उक्त खाते का उपयोग राज्य इनोवेशन सेल की स्थापना, राज्य इनोवेशन कोष का वितरण तथा राज्य इनोवेशन कोष के कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं से सम्बन्धित धनराशि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-5-806 /दस-2016, दिनांक 22 अगस्त, 2016 में प्राप्त, उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे0बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

<u>सं0- 24/2016 /524 (1)35-1-2016- तद्दिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
4- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, नियोजन विभाग।
6- प्रमुख स्टाफ आफिसर/निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
8- समस्त सदस्य राज्य इनोवेशन परिषद, उ0प्र0।
9- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(जय प्रकाश भारती)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in